महाराष्ट्र शासन

सहकार पणन व वस्त्रोदयोग विभाग

जिल्हा उपनिबंधक ,सहकारी संस्था,अहमदनगर

३ रा मजला, जि.म.स.बँ. मर्या. अहमदनगर इ., स्टेशन रोड, अहमदनगर इ.

e-mail :ddr_anr@rediffmail.com ☎ : (०२४१) २४५००५५

जा.क्र.जिउनि/वि-१२/मा.अ.२००५कलम४(१)(b)जुलै२१/२०२१ दि. /०७/२०२१

प्रति,

मा.सहकार आयुक्त व निबंधक,
सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य पुणे.

**विषय:-सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वत:हुन किंवा सकारात्मक तत्वावर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१) (b ) अन्वये प्रकट करणेबाबत..**

संदर्भ:-आपले कार्यालयाकडील जा.क्र.संवका/माअ.२००५/क. ४(१) (b ) सन २०२१ दि. /०७/२०२१
**( दि.१ जुलै २०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यासाठी).**

वरिल विषयांस कळविण्यात येते की,

२/- उपरोक्त संदर्भीय पत्रात नमुद प्रमाणे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील **कलम ४ ची प्रकट** करावयाची १ ते १७ मुददयांबाबतची माहिती दरवर्षी दिनांक १जानेवारी व दि.१जुलै रोजी असे वर्षातुन दोन वेळा संकेतस्थळावरील माहिती अदयावत करणे आवश्यक आहे.

उक्त विषयान्वये माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ ची प्रकट करावयाची १ ते १७ मुदयांबाबतची माहिती सोबत जोडलेल्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

उक्त विषयाची अहमदनगर जिल्हयाची अदयावत माहिती एकत्रित संकलित करुन पीडीएफ फाईल स्वरुपात मुख्यालयाचे www.sahkaryayukta.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यासाठी ccres.genral@gmail.com या ई-मेल पत्यावर तसेच सविनय सादर करण्यात येत आहे.

(दिग्विजय आहेर)
**जिल्हा उपनिबंधक**
**सहकारी संस्था,अहमदनगर**

**प्रत माहितीसाठी सविनय सादर.**

१.मा.सहनिबंधक सहकारी संस्था,नाशिक विभाग नाशिक.

केंद्रीय माहिती अधिकार २००५ चे कलम ४(१) (ख) प्रमाणे

३०/०६/२०२० अखेर १ ते १७ उपकलमांची माहिती प्रसिध्द करणेबाबत

कार्यालयाचे नांव

जिल्हा उपनिबंधक ,सहकारी संस्था,अहमदनगर

३रा मजला,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या.अहमदनगर स्टेशनरोड,अहमदनगर

दुरध्वनी क्रमांक -०४१-२४५००५५

मुददा क्रमांक :- १(एक)

## कार्य व कर्तव्ये यांचा तपशील

### जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,नाशिक यांचे नियंत्रणा खालील विषय:-

- प्रशासन (जिल्हा)
- जिल्हयातील सहकारी संस्थावर नियंत्रण तसेच वैधानिक कार्यवाही
- जिल्हयातील सर्व नागरी सहकारी बँक व पतसंस्थांवर नियंत्रण तसेच वैधानिक कार्यवाही.
- जिल्हयातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका.
- आपल्या अधिनस्त तालुका कार्यालयावर नियंत्रण.
- जिल्हयातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती कामकाज .
- जिल्हा देखरेख संघ कामकाज.
- जिल्हयातील हातमाग व यंत्रमाग सहकारी संस्था,कामकाज.
- शासननिर्णयातील तरतुदी प्रमाणे कार्यवाही करणे.
- मानिव अभिहस्तांतरणासाठी आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेणे.
- अटल पणन अभियान राबविणे.
- अभिनव प्रकारच्या संस्था नोंदणी करणे.
- कांदा,सोयाबीन अनुदान वाटप करणे.
- शासकीय कडधान्य खरेदी केंद्र कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
- शेतमाल तारण योजना राबविणे.
- सन २०२० मध्ये पिक कर्ज माफीबाबत कामकाज करणे.

मुददा क्रं.:- २ अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्ये.

जिल्हा उपनिबंधक व अधिनस्त अधिकारी यांच्या जबाबदा-या

| अधिकारपद | प्रशासनिक अधिकार | कायदा /नियम /आदेश /राजपत्र |
|---|---|---|
| जिल्हा उपनिबंधक व त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी | सहकारी संस्था व उपविधी नोंदणी व उपविधीतील सुधारणा | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९,कलम१३व १४ व नियम ४,५,१२व १३ |
| | संस्थांचे वर्गीकरण आणि त्यांची यादी प्रसिध्द करणे. | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२(३अ )१० |
| | संस्थाचे एकत्रिकरण,हस्तांतर, विभागणी यांची मंजुरी देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १७व १८ नियम १६ व १७ |
| | संस्थेचर पुनर्रचना करण्याचा आदेश देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १९व नियम १८ |
| | संस्थाच्या भागीदारीस परवानगी देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २० |
| | संस्थाची नोंदणी रदद करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१ |
| | एखादया संस्थेचा सदस्य म्हणुन दाखल करुन घेण्यास नकार देण्यात आलेल्या व्यक्तीने केलेले अपिल निकालात काढणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २३ |
| | एखादया सदस्याची संस्थेतुन हकालपटटी करण्याचे ठरावास मान्यता देण्यास किंवा सदस्यास पुन: सदस्य म्हणुन दाखल करुन घेण्यास संमती देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ३५ व नियम २८ व २९ |
| | संस्थेस कर्ज देण्यास संमती देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ४४ व नियम ४२ |
| | संस्थेचा निधी विशिष्ट रितीने गुंतविण्याबाबत आदेश देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७०व नियम ५५ |
| | एखादया संस्थेच्या किंवा संस्था वर्गाच्या समितीवरील सदस्यांची संख्या निश्चित करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ |
| | अधिसुचित संस्थाच्या निवडणुकी घेणे व निवडणुकीचा खर्च विहित रितीने वसुल करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ ए,ककव नियम ५६अ |
| | मुदत संपण्यापुर्वी समितीने | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम |

| | | |
|---|---|---|
| | निवडणुक न घेतल्यास निबंधकास स्वत: संस्थेचे व्यवस्थापन आपलेकडे घेता येईल किंवा प्रशासकाची नेमणुक करता येईल. | १९६० चे कलम ७३ ह |
| | वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलविण्यास किंवा तिच्यापुढे ताळेबंद ठेवण्याच्या बाबतीत कसुर करणारा अधिकारी संस्थेचा नोकर असल्यास त्यास दंड करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७५व ७६ |
| | वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलविण्यासाठी मुदत वाढविणे किंवा अशी सभा बोलविण्याचा एखादया इसमास अधिकार देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७५ |
| | संस्थेतील विशेष सर्वसाधारण सभा बोलविणे किंवा ती बोलविण्याचा एखादया इसमास अधिकार देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७६ |
| | समितीच्या नविन समिती सदस्याची किंवा प्रशासकाची नेमणुक करणे /बदलणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७अ |
| | समिती काढुन टाकणे आणि नविन समिती किंवा प्रशासक नेमणे,सभासद काढुन टाकणे नेमणे. | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ |
| | संस्थेस बंधनकारक असतील अशी कामे करुन घेणे आणि त्यात कसुर करणा-यास दंड करणे. | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९ |
| | संस्थेचे दप्तर किंवा मिळकतीचा ताबा घेणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८० |
| | संस्थेचे दरवर्षी हिशोब तपासणे किंवा तपासुन घेणे व हिशोबातील दोष सुधारण्याचा संस्थेस आदेश देणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ व ८२ |
| | संस्थेची रचना,कामकाज आणि आर्थिक स्थिती या बाबत चौकशी करणे. | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ |
| | चौकशी किंवा तपासणी यांचे खर्च बददल हुकुम करणे आणि वसुल करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८५ व ८६ |
| | संस्थेची पुस्तके तपासणी किंवा तपासुन घेणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८४ |

| | | |
|---|---|---|
| | संस्थेच्या कारभाराचे निरीक्षण करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८९अ |
| | विविक्षित सहकारी संस्थाच्या देय थकबाकीची वसूली करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ |
| | सहकारी संस्थेस व्यवहार बंद करणे तसेच ऋण परिशोधकाची नेमणूक करणे | महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०२ व १०३ |

मुद्दाक्रमांक :-३ (तीन)-

निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेसअनुसरुन करण्यात येणारी
कार्यपध्दती.तसेच पर्यवेक्षणआणि उत्तरदायित्व प्रणाली
जिल्हा उपनिबंधक.सहकारीसंस्था.नाशिक यांची कार्यक्षेत्ररचना

सहकारखात्याचीक्षेत्रीयरचना

↓

सचिव (सहकार) (मंत्रालयस्तर)

↓

सहकारआयुक्त(राज्यमुख्यालयस्तर)

↓

विभागीयसहनिबंधक(विभागस्तर)

↓

जिल्हा उपनिबंधक (जिल्हास्तर)

↓

तालुका/उप/सहाय्यक निबंधक (तालुकास्तर)

↓

| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|---|---|---|---|---|
| सहकारअधिकारी प्रथमश्रेणी | सहकारअधिकारी व्दितीयश्रेणी | सहाय्यक सहकारी अधिकारी | लिपिक | शिपाई |

मुद्दाक्रमांक :-४ (चार)-

स्वत ची कार्य पार पाडण्यासाठी ठरविण्यातआलेली मानके

आणि

मुद्दाक्रमांक:-५(पाच)-

त्यांच्या कडीलअसलेले किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्यांचे कार्य पार पाडणे साठीच्या कर्मचारी वर्गाकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनिमय,सुचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख

**महाराष्ट्रसहकारीसंस्थाअधिनियम १९६० व नियम १९६१ अन्वये मुद्राक्रमांक:-६(सहा)-**

त्यांच्याकडेअसलेल्या किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखालीअसलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गांचे विवरण

**वर्गीकरणप्रकारअ(कायमस्वरुपीठेवावयाचीकागदपत्रे)**

- सहकारीसंस्थेचीनोंदणीवपोटनियमनोंदणीधारिका
- विभागीयसुचनापुस्तिका
- स्थायीआदेशधारिका
- शासननिर्णय
- भौगोलिकबदलआदेश(नवीनकार्यालयस्थापनकरणे,बदल्याइ.)
- अभिलेखसुची
- निवाडावविक्रीआदेश
- जडवस्तूसंग्रहनोंदवही
- ११७ नोंदवही
- ग्रेडेशनयादी
- म स स नियम १९६१ चेनियम ३० अनुसारसर्वकागदपत्रे
- सर्वविधानिक आदेश
- बाजारक्षेत्रजाहिरकरणे,नियमआदेशवबाजारसमितीच्याविधीवउपविधी
- कर्मचारीनियुक्तीआदेशधारिका(वर्ग-४)सेवानियमनमुनेदारउपविधी
- नोंदणीक्रमांकवितरण
- नमुनेदारउपविधी(सर्वप्रकार)
- पोटनियमदुरूस्तीवसंस्थेच्यानावातबदल
- सावकारीकायदा,अधिनियमवपरिपत्रके
- सावकारीपरवानानोंदवही(नमुना १ वनियम ३)
- सावकारीपरवानाधारकनोंदवही( कलम ७)
- सावकारीपरवानारद्दआदेश(कलम ११)

**वर्गीकरणप्रकारब(३०वर्षापर्यंतठेवायाचीकागदपत्रे)**

- लेखापरिक्षणअहवाल
- कार्यक्रमअंदाजपुस्तिका
- पेन्शनप्रकरणे(सर्व)
- बदलीआदेश
- बढतीआदेश
- सेवापुस्तके
- सावकारीपरवानावितरण,रद्दकरणे,नोंदणीअर्जरद्दकरणे

**वर्गीकरणप्रकारक(५वर्षापर्यंतठेवावयाचीककागदपत्रे)**

- सहकारी संस्थांचे वार्षिकअहवाल व लेखे
- विधानसभा विधानपरिषद प्रश्न वउत्तरे,कपातसूचना,लक्षवेधीसूचना,आश्वासने
- कामकाजवाटपआदेश
- तपासणीअहवाल
- आवक-जावकनोंदवही
- लेखनसामुग्रीमागणीपत्र
- नियुक्तीआदेश

- नियतकालीनविवरणपत्रसादरीकरणनोंदवही
- जी.डी.सी.ए.वखातेपरिक्षानिकालपत्र
- परिक्षानियोजनधारिका(वेळापत्रक,हजेरीपत्रक)
- नियोजनअंदाजपत्रक
- कार्यभारहस्तांतरण
- प्रमाणितलेखापरिक्षकयांनावाटपकेलेल्यासंस्थांचेआदेश
- मंजुरसंस्थाकामकाजवाटप

**मुद्दाक्रमांक:7(सात)**

आपले धोरण करण्याच्या किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात लोकांशी विचार विनीमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेचा तपशिल

प्राप्त झालेल्या धोरणात्मक बाबीं वर सूचना तसेच कायदयातील दुरुस्ती बाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतात.

**मुद्दाक्रमांक:-8(आठ)-**

आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे परिशिष्टांचे, समित्यांच आणि अ निकालाचे विवरण आणि त्यामंडळाच्या,परिषदाच्या समित्याच्या आणि अन्य निकालाच्या बैठकीत लोकासाठी खुला आहेत किंवा कसे अशाबैठकींची कार्यवृत्तेजनतेलापहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण

जिल्हयातील अडचणीतील नागरी सहकारी बँका, पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने करण्यात येणा-या कार्यवाही सगती येण्यासाठी सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभागाकडील शासननिर्णय क्रमांक युआरबी-1507 शिकाणा प्र.क्र.477 स.दिनांक 13.08.2008अन्वये जिल्हा स्तरीयकृती समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर समिती मा.जिल्हाधिकारी यांचेअध्यक्षते खाली कामकाज करते

महाराष्ट्र राज्य सावकारीच्या व्यवहाराचे नियमना करिता महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014हा कायदा दिनांक 4एप्रिल2014 रोजीच्या अधिसुचनेव्दारे प्रसिध्द झालेलाआहे. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2014 रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे ज्या क्षेत्रामध्ये निबंधक आपल्या अधिकाराचा वापर करतील व आपली कर्तव्य पार पाडतील ते क्षेत्र म्हणून निश्चित केले आहे. सावकाराने दिलेल्या कर्जावर एका वर्षात किती व्याजदर आकारावा या याबाबतची महाराष्ट्र शासनाने 16सप्टेंबर2014 रोजी अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. सदर कायदयांतर्गत ज्या क्षेत्रात बेकायदेशीर सावकारी व्यवसाय केला जातो , त्या क्षेत्रातील सावकाराविरुध्द कलम 16 अन्वये कारवाई करुन सावकारी बाबतची सर्व कागदपत्रे जप्त करण्याचाअधिकार निबंधकांना दिला आहे. संपादित केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार कलम 18 नुसार निबंधकांना दिलाआहे.सावकारी संदर्भात प्राप्त होणा-या लेखी/ ऑनलाईन तक्रारीवर चौकशी करुन कार्यवाही करण्याचाअधिकार निबंधकांनाआहे

महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत( त्याबांधण्यास प्रोत्साहनदेणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरणयांचे नियमनाबाबत) अधिनियम 1963 चे कलम 11 अन्वये गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांचे 7/12 उतारा, प्रॉपर्टी कार्डवर जे प्रवर्तक, विकसक, जमिन मालक नांव लावून देणेस कसूर करतात अशा व्यक्ती विरुध्द या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करणे व आदेश पारीत करण्याचे कामकाज चालविले जाते. वैधानिक गृहनिर्माण संस्थांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर दोन महिन्यांचे आत अर्जाशी संबंधित त्रुटीची पुर्तता संस्थेस कळविणे, अथवा अर्जमध्ये त्रुटी नसल्यास सुनावणी नोटीस निर्गमित करणे आवश्यक असून अशा विहीत कालावधीत अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाते अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 6 महिन्यांचे आत अर्जावर निर्णय घेणे आवश्यक असून या

या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या अर्जावर विहीत कालावधीत निर्णय घेतला जातो.मानिव अभिहस्तांतरणाच्या प्रक्रीयेत सुलभता यावी म्हणुन शासनाने दि.१ मे २०१४ पासुन ऑनलाईन प्रणालीव्दारे मानिव अभिहस्तरणाचे अर्ज स्विकारण्यात यावे अशा सुचना निर्गमीत केलेल्या आहेत.त्यानुसार वेबसाईटवर ऑनलाईन फॉर्म भरणेबाबतच्या प्रक्रीयेची सविस्तर माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

मुद्दा क्रं :- ९(नऊ) आधिकारी आणि कर्मचा-यांची निर्देशिका आणि.

मुद्दा क्रं:- १०(दहा)आपल्या प्रत्येक अधिका-याला मिळणारे मासिक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पध्दत.

| अ.क्र. | अधिकार पद | अधिकारी व कर्मचारी नाव (सर्वश्री) | वर्ग | रुजु दिनांक | दुरध्वनी क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | जिल्हा उपनिबंधक | दिग्विजय आहेर | १ | १५.६.१८ | ०२४१-२४५००५५ |
| २. | सहाय्यक निबंधक | पदरिक्त | २ | ० | ० |
| ३. | सहाय्यक निबंधक | पदरिक्त | २ | ० | ० |
| ४. | सहाय्यक निबंधक | एस.के.म्हाळे | २ | | ०२४१-२४५००५५ |
| ५. | सहाय्यक निबंधक | पदरिक्त | २ | ० | ०२४१-२४५००५५ |
| ६. | कार्यालयअधिक्षक १ | के.के.आव्हाड | ३ | १.८.१९ | ०२४१-२४५००५५ |
| ७. | कार्यालयअधिक्षक २ | जे.सी.ठाकूर | ३ | ०५.०७.१८ | ०२४१-२४५००५५ |
| ८. | लघुलेखक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| ९. | मुख्यलिपीक | बी.बी.माळ | ३ | ०१.१०.१५ | ०२४१-२४५००५५ |
| १०. | मुख्यलिपीक | बी.बी.सिनारे | ३ | १६.०६.१४ | ०२४१-२४५००५५ |
| ११. | मुख्यलिपीक | ए.डी.सुर्दोक | ३ | | ०२४१-२४५००५५ |
| १२. | प्रतवारी पर्यवेक्षक | एस.पु.बनसोडे | ३ | ०१.०६.१८ | ०२४१-२४५००५५ |
| १३. | लेखापाल | पी.एन.थोरवे | ३ | १२.०७.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| १४. | सांख्यिकी सहाय्यक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| १५. | वरिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| १६. | वरिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| १७. | वरिष्ठलिपीक | विक्रम मुटकुळे | ३ | १६.०६.१४ | ०२४१-२४५००५५ |
| १८. | वरिष्ठलिपीक | बी.व्ही.रासकर | ३ | १८.०५.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| १९. | वरिष्ठलिपीक | श्रीम.एस.आर.सराफ | ३ | ०५.०४.१८ | ०२४१-२४५००५५ |
| २०. | वरिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| २१. | कनिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ० |
| २२. | कनिष्ठलिपीक | सोमनाथ ए.भोसले. | ३ | १४.१२.१५<br>१८.०३.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| २३. | कनिष्ठलिपीक | आर.पी.आगरकर | ३ | १८.०३.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| २४. | कनिष्ठलिपीक | श्रीम.ज्योती हराळे | ३ | १८.०३.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| २५. | कनिष्ठलिपीक | व्ही.आर.भारदे | ३ | १२.०६.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| २६. | कनिष्ठलिपीक | श्रीम.एम.ए.शेख | ३ | २०.०२.२०२० | ०२४१-२४५००५५ |
| २७. | कनिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ०२४१-२४५००५५ |
| २८. | कनिष्ठलिपीक | पदरिक्त | ३ | ० | ०२४१-२४५००५५ |
| २९. | क.प्रतवारी परिक्षक | पदरिक्त | ३ | ० | ०२४१-२४५००५५ |
| ३०. | वाहनचालक | पदरिक्त | ३ | ० | ०२४१-२४५००५५ |
| ३१. | नाईक | प्रदीप.एन.घोम. | ४ | ०१.०४.१५ | ०२४१-२४५००५५ |
| ३२. | शिपाई | ए.एम.चव्हाण | ४ | १४.०६.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| ३३. | शिपाई | एम.ए.कावटे (हजर) | ४ | ०१.०८.१७ | ०२४१-२४५००५५ |
| ३४ | शिपाई | पदरिक्त | ४ | ० | ० |
| ३५ | शिपाई | पदरिक्त | ४ | ० | ० |

मुद्दा क्रः- १०(दहा)आपल्या प्रत्येक अधिका-याला मिळणारे मासिक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पध्दत.

| अ.क्र. | अधिकारी व कर्मचारी नांव (सर्वश्री) | अधिकारपद | मुळवेतन | महागाईभत्ता | घरभाडे | वाहतूक भत्ता | डिपीपीएस/ विशेषभत्ता | एकुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | दिग्विजय आहेर | जिल्हा उपनिबंधक | ६१००० | ११७३० | ५५२० | १२०० | ११३०३ | १८७५३ |
| २. | पदरिक्त | सहाय्यक निबंधक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३. | पदरिक्त | सहाय्यक निबंधक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ४. | एस.के.आवरे | सहाय्यक निबंधक | ७५५०० | १२८३५ | ६०४० | २००० | ० | ९६३७५ |
| ५. | पदरिक्त | सहाय्यक निबंधक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ६. | के.के.आव्हाड | कार्यालय अधिक्षक १ | ६०३०० | १०२५१ | ४८२४ | ४०० | ० | ७५७७५ |
| ७. | जे.सी.ठाकुर | कार्यालय अधिक्षक २ | ५६८०० | ९६५६ | ४५४४ | ४०० | ० | ७१४०० |
| ८. | पदरिक्त | लघुलेखक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ९. | बी.डी.मगर | मुख्यलिपीक | ४६२०० | ७८५४ | ३६९६ | ४०० | ० | ५८१५० |
| १०. | बी.बी.शिनारे | मुख्यलिपीक | ४७६०० | ८०९२ | ३८०८ | ४०० | ० | ५९९०० |
| ११. | ए.डी.सुर्डीक | मुख्यलिपीक | ५८५०० | ९९४५ | ४६८० | ४०० | ० | ७३९०८ |
| १२. | एस.यु.कुलकर्णी | सहकारी पर्यवेक्षक | ४४९०० | ७६५३ | ३५९२ | ४०० | ० | ५६५२५ |
| १३. | पी.एन.थोरवे | लेखापाल | ४६२०० | ७८५४ | ३६९६ | २००० | ० | ५९७५० |
| १४. | पदरिक्त | सांख्यिकी सहाय्यक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १५. | पदरिक्त | वरिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १६. | पदरिक्त | वरिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| १७. | विक्रम मुटकुळे | वरिष्ठलिपीक | ४११०० | ६९८७ | ३२८८ | ४०० | ० | ५१७७५ |
| १८. | बी.बी.रासकर | वरिष्ठलिपीक | ३८७०० | ६५७९ | ३०९६ | ४०० | ० | ४८७७५ |
| १९. | श्रीम.एस.आर.सराफ | वरिष्ठलिपीक | २७९०० | ४७४३ | २२३२ | ४०० | ४५७१ | ३९८४६ |
| २०. | पदरिक्त | वरिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २१. | पदरिक्त | कनिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २२. | सोमनाथ ए.भोसले | कनिष्ठलिपीक | २३१०० | ३९२७ | १८४८ | ४०० | ३७८४ | ३३०५९ |
| २३. | आर.पी.आगलकर | कनिष्ठलिपीक | ४०६०० | ६९०२ | ३२४८ | ४०० | ६६५१ | ५७८०१ |
| २४. | श्रीम.ज्योती हराळे | कनिष्ठलिपीक | २२४०० | ३८०८ | १८०० | ४०० | ३६७० | ३२०७८ |
| २५. | डी.आर.भारदे | कनिष्ठलिपीक | ३८६०० | ६५६२ | ३०८८ | ४०० | ० | ४८६५० |
| २६. | श्रीम.एस.ए.शेख | कनिष्ठलिपीक | २३१०० | ३९२७ | १८४८ | ४०० | ३७८४ | ३३०५९ |
| २७. | पदरिक्त | कनिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २८. | पदरिक्त | कनिष्ठलिपीक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| २९. | पदरिक्त | क.हातमाग परिरक्षक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३०. | पदरिक्त | वाहनचालक | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३१. | प्रदीप.एन.भोज. | नाईक | ३७५०० | ६३७५ | ३००० | ४०० | ० | ४७२७५ |
| ३२. | ए.एम.पवार | शिपाई | ३५००० | ५९५० | २८०० | ४०० | ० | ४४१५० |
| ३३. | एस.ए.काकडे (हजर) | शिपाई | १९९०० | ३२४७ | १८०० | ४०० | ३१२९ | २७६७६ |
| ३४ | पदरिक्त | शिपाई | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| ३५ | पदरिक्त | शिपाई | ० | ० | ० | ० | ० | ० |

मुद्दा क्र.११ (अकरा)-

सर्व योजनांचा तपशिल प्रस्ताव वित्त खर्च दर्शविणारा आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमणूक दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरीत केलेल्या क्रमांचा अहवाल

वार्षिक योजना सन २०२०-२१ माहे मार्च २०२१ अखेर झालेला खर्च

आणि

मुद्दा क्रमांक १२ (बारा)

अर्थसहाय कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची रित तसेच वाटप केलेल्या रक्कमा आणि अशा कार्यक्रमाच्या लाभधारकांचा तपशिल

आणि

मुद्दा क्रमांक :-१३ (तेरा)

ज्या व्यक्तींना सवलती परवाने व प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशिल :-

जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती

| अ.क्र. | गौणशिर्ष, उपशिर्ष, प्राथमिक घटक | सन २०२०-२१ ची अंतिम सुधारीत अर्थसंकल्पिय तरतूद | माहे ३१/३/२०२१ अखेर झालेला खर्च | समर्पित /बचत झाल्याची कारणे |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | १०७(०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख पिक प्रोत्साहन योजना (व्याजसवलत)(जनरल)२४२५१००९ | १२९.९७ | १२९.९७ | -- |
| २ | १०७(०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख पिक प्रोत्साहन योजना (व्याजसवलत)(विशेष घटक योजना)२२२५ई५५२ | ३७.९८ | ३७.९८ | -- |
| ३ | ३(०१) डॉ.पंजाबराव देशमुख पिक प्रोत्साहन योजना (व्याजसवलत)(आदिवासी योजना)२४२५०८१७ | २६७.९८ | २६७.९८ | ० |
| ४ | १०२(०२)(०२) गट पातळीवरील ग्रामणि कारागीरांच्या बलुतेदार )औदयोगिक सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान ४८५१०८११ | ० | ० | ० |
| ५ | आदिवासी सहकारी संस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी व्यवस्थापकीय अनुदान | ० | ० | ० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | २४२५०८१७ | | | |
| ६ | आदिवासी शेतकरी सभासदांना साखर कारखान्यांचे भाग खरेदी करीता अर्थसहाय्य (२२२५१५३५) | ० | ० | ० |
| ७ | आदिवासी सहकारी संस्थेचे शेअर्स खरेदीसाठी सात वर्षमुदती (६२२५००४४) | ० | ० | ० |

प्रवासभत्ते कार्यालयीन खर्च

सन १.०४.२०२० ते ३१.०३.२१ (रु.हजारात)

| अ.क्र | गौणशिर्ष,उपशिर्ष,प्राथमिक घटक | सन २०२०-२१अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतुद | माहे ३१/०३/२१अखेर झालेला खर्च | समर्पित झाल्यास कारणे |
|---|---|---|---|---|
| १. | २४२५००६७०१ | १५४०११३० | १५४०११३० | ० |
| २. | २४२५००६७११ | - | - | - |
| ३. | २४२५००६७१३ | - | - | - |
| ४. | २४२५००६७१४ | - | - | - |
| ५. | २४२५००६७०६ | - | - | - |
| ६. | २४२५०४०५०१ | ७२०४६५ | ७२०४६५ | ० |
| ७. | २४२५०४०५११ | - | - | - |
| ८. | २४२५००५८०१ | - | - | - |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| १ | योजनेचे नांव | डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (सर्वसाधारण)(विशेष घटक)(आदिवासी उपयोजना) |
| २ | योजना केव्हापासून कार्यान्वित आहे | १९९१ |
| ३ | योजनेचा उद्देश व स्वरुप | सदर योजनेअंतर्गत जे शेतकरी रक्कम रु.१ लाखापर्यंत पिक कर्ज घेतात व विहीत मुदतीत कर्ज परतफेड करतात अशा शेतक-यांना व्याजामध्ये ३ टक्के सवलत असते. व जे शेतकरी रु. १००००१ ते ३ लाख पर्यंत कर्ज घेतात त्यांना व्याजात १ टके सवलत मिळते. |
| ४ | लाभार्थी | विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे नियमित कर्ज परतफेड करणारे सभासद तसेच राष्ट्रीयकृत बँक व ग्रामिण बँकेचे शेतकरी सभासद |
| ५ | अर्जकोणाकडे करावयाचा | उप/सहाय्यक निबंधक |
| ६ | मंजूरीचे अधिकार | जिल्हा उपनिबंधक |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | २४२५०८१७ | | | |
| ६ | आदिवासी शेतकरी सभासदांना साखर कारखान्यांचे भाग खरेदी करीता अर्थसहाय्य (२२२५१५३५) | ० | ० | ० |
| ७ | आदिवासी सहकारी संस्थेचे शेअर्स खरेदीसाठी सात वर्षमुदती (६२२५००४४) | ० | ० | ० |

प्रवासभत्ते कार्यालयीन खर्च

सन १.०४.२०२० ते ३१.०३.२१ (रु.हजारात)

| अ.क्र | लेखाशिर्ष,उपशिर्ष,प्राथमिक घटक | सन २०२०-२१अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतुद | माहे ३१/०३/२१अखेर झालेला खर्च | समर्पित झाल्यास कारणे |
|---|---|---|---|---|
| १. | २४२५००६७०१ | १५४०१९३० | १५४०१९३० | ० |
| २. | २४२५००६७११ | - | - | - |
| ३. | २४२५००६७१३ | - | - | - |
| ४. | २४२५००६७१४ | - | - | - |
| ५. | २४२५००६७०६ | - | - | - |
| ६. | २४२५०४०५०१ | ७२०४६५ | ७२०४६५ | ० |
| ७. | २४२५०४०५११ | - | - | - |
| ८. | २४२५००५८०१ | - | - | - |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| १ | योजनेचे नांव | डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (सर्वसाधारण)(विशेष घटक)(आदिवासी उपयोजना) |
| २ | योजना केव्हापासून कार्यान्वित आहे | १९९१ |
| ३ | योजनेचा उद्देश व स्वरुप | सदर योजनेअंतर्गत जे शेतकरी रक्कम रु.१ लाखापर्यंत पिक कर्ज घेतात व विहीत मुदतीत कर्ज परतफेड करतात अशा शेतक-यांना व्याजामध्ये ३ टक्के सवलत असते. व जे शेतकरी रु. १००००१ ते ३ लाख पर्यंत कर्ज घेतात त्यांना व्याजात १ टके सवलत मिळते. |
| ४ | लाभार्थी | विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे नियमित कर्ज परतफेड करणारे सभासद तसेच राष्ट्रीयकृत बँक व ग्रामिण बँकेचे शेतकरी सभासद |
| ५ | अर्जकोणाकडे करावयाचा | उप/सहाय्यक निबंधक |
| ६ | मंजूरीचे अधिकार | जिल्हा उपनिबंधक |

मुददा क्रं.१७ (सतरा)

विहीत करण्यात येईल अशी माहिती.

वार्षिक माहिती संबधी या कार्यालयाचे सांखिकी शाखा कामकाजाचे स्वरुप खालीलप्रमाणे :-

१.वा-२४ अपेंडिक्स अे-

दरवर्षी माहे मार्च अखेर अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थाची संख्या निश्चित करणे. वर्षाअखेर नवीन नोंदणी झालेल्या पुर्नजीवन झालेल्या /अवसायनात घेतलेल्या रदद केलेल्या संस्थांची संख्या प्रत्येक तालुक्याकडुन घेऊन जिल्हयाची एकत्रित संख्या मुख्य कार्यालयास सादर करणे.

२.वार्षिक माहिती तक्ते.१० ते ५१ (ANR TABLES ) सादर करणे.

दरवर्षी वा-२४ नुसार निश्चित केलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांची माहिती संस्थांच्या प्रकार निहाय सर्व तालुक्याकडुन प्राप्त करुन घेऊन जिल्हयाचे एकत्रिकरण करुन माहिती मुख्य कार्यालय पुणे यांना सादर करण्यात येते.

३.जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन /राज्य सांखिकी गोषवारा /तालुका निवडक निर्देशांक:-

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन /राज्य सांखिकी गोषवारा /तालुका निवडक निर्देशांक हे प्रकाशन दरवर्षी जिल्हा सांखिकी गोषवारा प्रकाशन अर्थ व सांखिकी संचनालय,मुंबई या कार्यालयातर्फे प्रकाशीत करण्यात येते.सदर प्रकाशना करीता आवश्यक असलेली माहिती वार्षिक माहितीच्या तक्त्यांच्या आधारे किंवा आवश्यकता वाटल्यास तालुका कार्यालयाकडुन /लेखापरिक्षण यांचेकडुन उपलब्ध करुन घेऊन जिल्हा सांखिकी कार्यालयांस सादर केली जाते.

४.इतरः-

मुख्य कार्यालय,पुणे तसेच मा.विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था,नाशिक कार्यालयाकडुन मागितलेली सांखिकी माहिती आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देणे.

(दिग्विजय आहेर)
जिल्हा उपनिबंधक
सहकारी संस्था,अहमदनगर

प्रत माहितीसाठी सविनय सादर.

१. मा.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य,पुणे.